राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12690/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
प्रहलाद कुमावत टाइप ाा/25, एल, अणु किरण कॉलोनी, रावतभाटा, चित्तौरगढ़ , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप सचिव द्वितीय राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 06-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री एस.एल. मलिक, राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 22-4-17 के द्वारा द्वितीय अपील संख्या 2166/2015 जिसमें कि दिनांक 30-12-16 को आयोग द्वारा निर्णय दिया गया था के सम्बन्ध में सम्पूर्ण पत्रावली की प्रतिलिपि चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा संपूर्ण पत्रावली की प्रतिलिपि चाही गई है जो कि स्वयं अपीलार्थी के पास भी धारित है, अतः ऐसी सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की परिभाषा में नहीं आती है। अपीलार्थी को पत्र दिनांक 29-5-17 से विनिश्चय प्रेषित कर दिया गया था।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 28-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित दस्तावेजात या तो अपीलार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत किये गये है अथवा आयोग द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित किये गये है, अतः उक्त सूचना ऐसी सूचना है जो कि अपीलार्थी स्वयं के पास धारित है। अतः चाही गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (जे) के तहत सूचना का अधिकार की परिभाषा में नहीं आती है।

8. अपीलार्थी द्वारा प्रेषित विनिश्चय विधिसंगत है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त